राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(8)ग्रावि / नरेगा / विविध / 56074 / 2014 जयपुर, दिनांक : 11 AUG 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषय :– **"भारत छोडो आन्दोलन" की 75वीं वर्षगांठ को संकल्प पर्व के रूप में मनाने के लिए आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीण विकास विभाग तथा राजीविका मिशन से संबन्धित कार्यवाही के संबन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है "भारत छोडो आन्दोलन" की 75वीं वर्षगांठ को संकल्प पर्व के रूप में मनाये जाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए पंचायतीराज विभाग द्वारा पृथक से निर्देशित किया जा चुका है।

आयोजित की जाने वाली उक्त विशेष ग्राम सभाओं में ग्रामीण विकास विभाग तथा राजीविका मिशन से संबन्धित निम्न कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावे :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के सभी श्रमिकों को ग्राम सभा में उपस्थित होने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
2. योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के तहत लाभान्वित विशेष रूप से "महिला स्वयं सहायता समूह" के परिवारों को ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनको योजना से मिले लाभ से ग्राम सभा को अवगत कराया जावे।
3. राजीविका के तहत गठित "महिला स्वयं सहायता समूहों" की समस्त महिलाओं को ग्राम सभा में उपस्थित होने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेट तथा राजीविका के तहत चयनित पंचायत समितियों में 100 प्रतिशत महिला मेट "महिला स्वयं सहायता समूहों" से नियोजित किये जाने के संबन्ध में जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध करायी जावे।
5. "स्मार्ट विलेज" के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो को पूरक वार्षिक कार्य योजना 2017–18 में सम्मिलित किये जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित की जावे।

भवदीय,

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका राजस्थान।
5. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज, राजस्थान।
6. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
7. परियोजना निदेशक एवं उप शासन सचिव (मो. एवं मू.) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग–8) राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
9. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

Scanned by CamScanner